

## जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन

क्र./तकनीकी समूह/कृषिसाख/2016/7485

खरगोन, दिनांक 28/01/2016


प्रति,

शाखा प्रबंधक,  
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन  
शाखा.....(समस्त)

विषय - बैंक तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 12.01.2016 पारित ऋण नीति वर्ष 2016-17

तकनीकी समूह की बैठक जिला कलेक्टर, खरगोन की अध्यक्षता में दिनांक 12.01.2016 को सम्पन्न हुई, जिसमें प्रातिशाल कृषकों एवं सम्बंधित विभागीय अधिकारियों ने फसलवार ऋणमानों के लिये उपयुक्त सुझाव दिये हैं। उन सुझावों पर संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 27.01.2016 द्वारा सहमति दी गई है। वर्ष 2016-17 के लिये संलग्न ऋणमान निर्धारित किये जाते हैं।

ऋण नीति अनुसार ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।  
संलग्न - यथोपरि

  
प्रबंध संचालक

प्रतिलिपी-

1. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ई/5, अरेरा कॉलोनी, रिसर्क नगर, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
3. जिला विकास प्रबंधक, नाबाई, खरगोन।
4. अध्यक्ष, नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक खरगोन।
5. प्रबंधक, अग्रणी जिला बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, खरगोन/बड़वानी।
6. बरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, आंचलिक अनुसंधान केंद्र, खरगोन।
7. जप संचालक, उद्यानिकी, जिला खरगोन/बड़वानी।
8. सहायक संचालक, उद्यानिकी, जिला खरगोन/बड़वानी।
9. जप आयुक्त/सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला खरगोन/बड़वानी।
10. शाखा प्रबंधक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, शाखा खरगोन।
11. जिला समन्वय, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, क्षेत्रिय कार्यालय खरगोन।
12. शाखा प्रबंधक,.....
13. श्री..... क्षेत्रीय अधिकारी, जिला सह. के. बैंक मर्यादित, खरगोन।
14. संस्था प्रबंधक, आजा/सेवा सहकारी समिति मर्यादित, (समस्त)
15. कक्ष प्रमुख बैंक प्रधान कार्यालय, खरगोन।

प्रबंध संचालक

## जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन

### तकनीकी समूह की बैठक

12.01.2016

अल्पकालीन कृषि ऋणों के फसलवार (खरीफ एवं रबी) मानदण्ड निर्धारण करने के लिये एवं मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋणों की ईकाई लागत तय करने हेतु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा गठित तकनीकी समूह की बैठक जिला कलेक्टर खरगोन की अध्यक्षता में दि. 12.01.2016 को आयोजित की गई।

नाबार्ड द्वारा मान्य फसल ऋण प्रणाली के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन में कृषकों की आवश्यकताओं एवं कृषि की आधुनिक तकनीकी को ध्यान में रखते हुये अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन, क्षेत्रीय प्रबंधक नर्मदा मालवा, झाबुआ ग्रामीण बैंक/खरगोन, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग खरगोन, सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग खरगोन, लीड बैंक खरगोन, उपायुक्त सहकारिता विभाग जिला खरगोन, कृषि वैज्ञानिक राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र खरगोन, शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, शाखा खरगोन एवं प्रगतिशील कृषक श्री विष्णु राठौड़, श्री इंद्रजीतसिंह गिन्नारे, श्री श्यामलाल उपाध्याय, श्री सीताराम पाटीदार, श्री शंकरलाल पाटीदार के साथ विचार-विमर्श कर ऋणमान निर्धारण किए गए जो जिला खरगोन एवं बड़वानी के लिए प्रभावशील रहेंगे।

विषय क्रमांक 1 - जिले में परम्परागत तरीके से उपजाई जाने वाली मुख्य फसल का प्रति एकड़ कुल उत्पादन, फसलवार प्रति एकड़ उत्पादन लागत, ऋण अदायगी सीमा के आधार पर फसलवार ऋणमान सीमा निर्धारण करना।

टीप - जिले में उत्पादित होने वाली फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन एवं लागत व्यय के संबंध में उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला खरगोन तथा सहायक संचालक उद्यान पश्चिम निमाड़ खरगोन द्वारा आंकलित प्रतिवेदन एवं कृषि उपज मण्डी समिति खरगोन में विक्रय होने वाली फसलों का औसत भाव प्राप्त किये गये हैं, जिनके औसत मूल्य आधार पर बैंक द्वारा तैयार की गई जानकारी अनुसार अल्प एवं मध्यम अवधि ऋण अदायगी की सदस्यों की क्षमता संबंधी टीप का अवलोकन किया गया। बैठक में चर्चा के दौरान श्री रणजीतसिंह डंडीर, अध्यक्ष बैंक, जिला विकास प्रबंधक श्री नवसारे सा., उप संचालक कृषि, प्रगतिशील कृषक श्री विष्णु राठौड़, इंद्रजीतसिंह गिन्नारे, श्री श्यामलाल उपाध्याय, श्री सीताराम पाटीदार, श्री शंकर पाटीदार द्वारा विभिन्न फसलों के ऋणमान सीमा में वृद्धि पर सुझाव दिए गए। सुझावों पर चर्चा उपरांत सर्वानुमति से वर्ष 2016-17 में बैंक द्वारा वितरित किए जाने वाले अल्पकालिन एवं मध्यम कालिन ऋणों की अदायगी क्षमता प्रति हेक्टेयर/प्रति एकड़ के मान से निम्नानुसार फसल ऋण के ऋणमान का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया है।

(अ.) खरीफ एवं रबी फसल फसलवार कुल लागत का निर्धारण, कुल उत्पादन मूल्य एवं वर्तमान स्वीकृत साख सीमा प्रति एकड़।

अ/फसलवार (खरीफ एवं रबी) कुल लागत का निर्धारण (प्रति हेक्टेयर)

क्र.	नाम फसल	कृषि विभाग/उद्योगिकी विभाग अनुसार लागत प्रति हेक्टेयर नगद(मजदूरी, निचाई, सिंचाई, बाज आदि)	पशु ऋण				कुल योग (3+7)
			खाद	बीज	दवाई(जैविक खाद)	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शंकर ज्वार	13464	6351	1250	1000	8601	22065
2	मक्का	17156	7824	1010	1000	9834	26990
3	सोयाबीन	12334	7075	4950	1500	13525	25859
4	मूंगफली	12434	7075	7100	1000	15175	27609
5	मूंग चवला	10696	3940	1960	1000	6900	17596
6	उड़द	10696	3940	1560	1000	6500	17196
7	अरहर (खर)	16366	6260	740	2500	9500	25866
8	बी.टी. कपास	35962	9624	2700	5000	17324	53286
9	गहू	21846	7824	3150	1000	11974	33820
10	चना	14196	4472	3450	2500	10422	24618
11	गना	82608	11471	13200	2500	27171	109779
12	बाजरा	1500	500	1000	100	1600	3100
13	पपीता (शंकर)	82500	29500	15000	8000	52500	135000
14	शंकर मिर्च	67000	23500	8750	13000	45250	112250
15	देशी मिर्च	45500	13500	7500	3000	24000	69500
16	आलू	41500	14000	50000	5000	69000	110500
17	अरबी	39000	14000	35000	5000	54000	93000
18	प्याज	42000	16000	14000	7500	37500	79500
19	लहसून	43000	15500	50000	7000	72500	115500
20	अदरक	62000	16000	120000	7500	143500	205500
21	साग सब्जी देशी	44000	13000	3000	7500	23500	67500
22	साग सब्जी शंकर	62000	19500	9000	11000	39500	101500
23	सौंफ	21500	12500	3000	2000	17500	39000
24	सफेद मुसली	50000	28000	25000	2500	55500	105500
25	केला	77500	26000	22500	8000	56500	134000
26	केला टीपू	85500	66290	61720	10000	138010	223510
27	अमरुद	92900	16000	4200	6000	26200	119100
28	निम्बू	92900	16000	4200	7000	27200	120100
29	आम (कलमी)	84400	16000	7800	6000	29800	114200
30	आंवला	79400	15000	4680	5000	24680	104080
31	अनार	106700	21000	25000	12000	58000	1647100
32	रतनजीत	14950	2950	10000	0	12950	27900
33	बंदन	0	0	0	0	0	0
34	गेंदा	68500	21000	12000	7000	40000	108500
35	बरसीम	7500	3750	6600	0	10350	17850
36	रजका	6750	3750	2750	0	6500	13250
37	मक्का/ज्वार चरी (खरीफ)	3750	1250	6750	0	8000	11750
38	मक्का/ज्वार चरी (रबी)	3750	1250	10500	0	11750	15500

ब/ फसलवार (खरीफ एवं रबी) कुल उत्पादन मूल्य के आधार पर फसलवार अदायगी क्षमता का निर्धारण

ईकाई प्रति हेक्टेयर / रुपये

क्र.	नाम फसल	जिले का औसत उत्पादन	जिले का औसत उत्पादन मूल्य	कुल उत्पादन मूल्य + चारा	ऋण अदायगी क्षमता (उत्पादन मूल्य का 50 प्रति.)	अल्पावधि ऋण हेतु अदायगी क्षमता	
						अ.का. 35%	म.का. 15%
1	शंकर ज्वार	16.27	1280	23826	11913	8339	3574
2	मक्का	23.20	1250	31500	15750	11025	4725
3	सोयाबीन	9.12	3536	33248	16624	11637	4987
4	मूंगफली	10.34	3051	33147	16574	11602	4972
5	मूंग चवला	4.40	6901	30864	15432	10803	4630
6	उड़द	3.76	4900	18924	9462	6623	2839
7	अरहर (तुवर)	6.77	4580	31507	15753	10027	4726
8	बी.टी. कपास	13.39	3950	55891	27945	19562	8384
9	गेहू	32.27	1481	50792	25396	17777	7619
10	चना	14.52	2550	38026	19013	13309	5704
11	गन्ना	600.00	220	132000	66000	46200	19800
12	बाजरा	5.00	2250	11250	5625	3938	1688
13	पपीता (शंकर)	800.00	700	560000	280000	196000	84000
14	शंकर मिर्च	40.00	8000	320000	160000	112000	48000
15	देशी मिर्च	25.00	8000	200000	100000	70000	30000
16	आलू	250.00	1300	325000	162500	113750	48750
17	अरबी	225.00	1100	247500	123750	86625	37125
18	म्याज	250.00	1500	375000	187500	131250	56250
19	लहसून	150.00	3000	450000	225000	157500	67500
20	अदरक	100.00	6000	600000	300000	210000	90000
21	साग सब्जी देशी	150.00	1500	225000	112500	78750	33750
22	साग सब्जी शंकर	300.00	1500	450000	225000	157500	67500
23	सोफ	10.00	10000	100000	50000	35000	15000
24	सफंद मुसली	8.00	70000	560000	280000	196000	84000
25	केला	650.00	800	520000	260000	182000	78000
26	केला टीशू	900.00	800	720000	360000	252000	108000
27	अमरुद	220.00	1500	330000	165000	115500	49500
28	निम्बू	160.00	2000	320000	160000	112000	48000
29	आम (कलमी)	200.00	1500	300000	150000	105000	45000
30	आंवला	150.00	1000	150000	75000	52500	22500
31	अनार	120.00	4000	480000	240000	168000	72000
32	रतनजोत	60.00	1750	105000	52500	36750	15750
33	चंदन	0	0	0	0	0	0
34	गेंदा	150.00	1800	270000	135000	94500	40500
35	बरसीम	800.00	50	400000	20000	14000	6000
36	रजका	900.00	40	360000	18000	12600	5400
37	मक्का/ज्वार चरी (खरीफ)	550.00	50	27500	13750	9625	4125
38	मक्का/ज्वार चरी (रबी)	550.00	50	27500	13750	9625	4125

6

स/ ऋण अदायगी सीमा के आधार पर फसलवार प्रति हेक्टेयर ऋणमान सीमा का निर्धारण

ईकाई रु० प्रति हेक्टेयर

क्र.	नाम फसल	नगद	खाद	बीज	दवाई	योग
1	शंकर ज्वार	8250	1650	550	550	11000
2	मक्का	9900	1980	660	660	13200
3	सोयाबीन	15000	3000	1000	1000	20000
4	मूंगफली	14025	2805	935	935	18700
5	मूंग चवला	8250	1650	550	550	11000
6	उड़द	8250	1650	550	550	11000
7	अरहर (तुवर)	15750	3150	1050	1050	21000
8	बी.टी. कपास	45000	9000	3000	3000	60000
9	गेहू	19800	3960	1320	1320	26400
10	चना	9900	1980	660	660	13200
11	गन्ना	63750	12750	4250	4250	85000
12	बाजरा	4125	825	275	275	5500
13	पपीता (शंकर)	65250	13050	4350	4350	87000
14	शंकर मिर्च	75000	15000	5000	5000	100000
15	देशी मिर्च	37500	7500	2500	2500	50000
16	आलू	49500	9900	3300	3300	66000
17	अरबी	30000	6000	2000	2000	40000
18	प्याज	31500	6300	2100	2100	42000
19	लहसून	52500	10500	3500	3500	70000
20	अदरक	54000	10800	3600	3600	72000
21	साग सब्जी देशी	19500	3900	1300	1300	26000
22	साग सब्जी शंकर	30000	6000	2000	2000	40000
23	सोफ	16500	3300	1100	1100	22000
24	सफंद मुसली	79500	15900	5300	5300	106000
25	केला	45000	9000	3000	3000	60000
26	केला टीशू	99000	19800	6600	6600	132000
27	अमरुद	53625	10725	3575	3575	71500
28	निम्बू	53625	10725	3575	3575	71500
29	आम (कलमी)	42075	8415	2805	2805	56100
30	आंवला	28050	5610	1870	1870	37400
31	अनार	33750	6750	2250	2250	45000
32	रतनजोत	29700	5940	1980	1980	39600
33	चंदन	0	0	0	0	0
34	गेंदा	30000	6000	2000	2000	40000
35	बरसीम	30000	6000	2000	2000	40000
36	रजका	30000	6000	2000	2000	40000
37	मक्का/ज्वार चरी (खरीफ)	30000	6000	2000	2000	40000
38	मक्का/ज्वार चरी (रबी)	30000	6000	2000	2000	40000
39	अरंडी	26250	5250	1750	1750	35000

7

स(अ) / ऋण अदायगी सीमा के आधार पर फसलवार प्रति एकड़ ऋणमान सीमा का विवरण  
ईकाई रु० प्रति एकड़

क्र.	नाम फसल	नगद	खाद	बीज	ढवाई	योग
1	शकर ज्वार	3300	660	220	220	4400
2	मक्का	3300	792	264	264	5280
3	सोयाबीन	6000	1200	400	400	8000
4	मूंगफली	5610	1122	374	374	7480
5	मूंग खवला	3300	660	220	220	4400
6	उड़द	3300	660	220	220	4400
7	अरहर (तुवर)	6300	1300	400	400	8400
8	बी.टी. कपास	18000	3600	1200	1200	24000
9	गेहूँ	7920	1584	528	528	10560
10	चना	3960	792	264	264	5280
11	गन्ना	25500	5100	1700	1700	34000
12	बाजरा	1650	330	110	110	2200
13	पपीता (शकर)	26100	5220	1740	1740	34860
14	शकर मिर्च	30000	6000	2000	2000	40000
15	देशी मिर्च	15000	3000	1000	1000	20000
16	आलू	19800	3960	1320	1320	26400
17	अरबी	12000	2400	800	800	16000
18	प्याज	12600	2520	840	840	16800
19	लहसुन	21000	4200	1400	1400	28000
20	अदरक	21600	4320	1440	1440	28800
21	साग सब्जी देशी	7800	1560	520	520	10400
22	साग सब्जी शकर	12000	2400	800	800	16000
23	सौंफ	6600	1320	440	440	8800
24	सफेद मुसली	31800	6360	2120	2120	42400
25	केला	18000	3600	1200	1200	24000
26	केला टीशू	39600	7920	2640	2640	52800
27	अमरुद	21450	4290	1430	1430	28600
28	निम्बू	21450	4290	1430	1430	28600
29	आम (कलमी)	16830	3366	1122	1122	22440
30	आंवला	11220	2244	748	748	14960
31	अनार	13500	2700	900	900	18000
32	रतनजोत	11880	2376	792	792	15840
33	घंदन	0	0	0	0	0
34	गेंदा	12000	2400	800	800	16000
35	बरसीम	12000	2400	800	800	16000
36	रजका	12000	2400	800	800	16000
37	मक्का/ज्वार चरी (खरीफ)	12000	2400	800	800	16000
38	मक्का/ज्वार चरी (रबी)	12000	2400	800	800	16000
39	अरंडी	10500	2100	700	700	14000

द/उद्यानिकी फसलों की फसलवार कुल लागत, कुल उत्पादन, मूल्य एवं स्वीव साखू सीमा

कार्या. सहायक संचालक उद्यानिकी जिला खरगोन से प्राप्त वर्ष 2016-17 के ऋणमान प्राप्त फसलों की फसलवार काश्त लागत एवं आय व्यय की जानकारी के आधार पर फलोद्यान हेतु प्रति एकड़ निम्नानुसार काश्त लागत है -

फलोद्यान हेतु युनिट काश्त प्रति हेक्टर

श्ववरण	कुल काश्त लागत	उत्पादन	उत्पादन मूल्य प्रति किं	कुल उत्पादन मूल्य	लाभ प्रति हेक्टर	पीछो से पीछो की दुरी
अमरुद	119100	220 किंटल	1500	330000	210900	6x6
निम्बू	120100	160 किंटल	2000	320000	199900	5x6
राम (कलमी)	114200	200 किंटल	1500	300000	185800	10x10
आंवला(कलमी)	104080	150 किंटल	1000	150000	45920	10x10
टनार (कलमी)	164700	120 किंटल	4000	480000	315300	4x4
टंगूर (वाईन)	510860	5 टन	15000	75000	-	3x2.5
रतनजोत	27900	60 किंटल	1750	105000	90050	

कार्या. सहायक संचालक उद्यानिकी, जिला खारगोन, के अनुसार अंगूर 15 से 20 टन तृतीय वर्ष से 15 वर्ष तक उत्पादन होगा। सर्वानुमति से फलोद्यान यूनिट हेतु निम्नानुसार साख सीमा का निर्णय लिया जाता है।

फलोद्यान यूनिट हेतु प्रस्तावित साख सीमा :

विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	योग
टमरुद	31000	12000	12000	10000	6500	71500
निम्बू	31000	12000	12000	10000	6500	71500
दाम (कलमी)	20000	17000	7000	6000	6100	56100
आंवला	17000	8000	5000	4000	400	37400
अनार	20000	13000	6000	6000	-	45000
अंगूर (वाईन)	360000	48000	-	-	-	408000
रतनजोत	20000	5000	5000	-	-	30000

नोट :- आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक/भूविअ/वियो/08/111 - अ दिनांक 20.02.08 अनुसार रतनजोत फसल के लिये योजना अवधि कुल 7 वर्ष (5+2) की होगी, जिसमें प्रथम दो वर्ष तक बैंक द्वारा ब्याज की राशि वसूली जावेगी। इसके पश्चात् कृषक द्वारा अपना उत्पादन जेट्रोफा बीज अनुबंधित संस्था को विक्रय करने से प्राप्त होने वाली राशि उक्त संस्था द्वारा बैंक को दी जावेगी। बैंक अपनी किश्त की राशि वसूल करने के पश्चात् शेष राशि कृषक को देगी। राष्ट्रीय तिलहन एवं वानिस्पतिक तेल विकास बोर्ड द्वारा प्रति एकड़ 30 प्रति. तक अनुदान की राशि का प्रावधान है।

विषय क्रमांक - 2. अल्पकालीन ऋणों के लिये व्यक्तिगत सदस्य की अधिकतम ऋण सीमा, ऋण वितरण का समय एवं ऋण की देय तिथि का निर्धारण।

टीप 2/1. किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के लिए अधिकतम ऋण सीमा का निर्धारण बाबत।

वर्तमान में आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी समितियाँ भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख/02/रिपोर्ट/1051/दिनांक 20.03.02 के तहत किसान केश क्रेडिट कार्ड धारी सदस्यों को अधिकतम ऋण सीमा 1 लाख तक प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित की है तथा पंजीयक कार्यालय भोपाल के पत्रांक/साख/रिपोर्ट/2005/4654 भोपाल दिनांक 3.11.2005 के अनुसार वस्तु एवं नगद ऋण का अनुपात 75:25 प्रतिशत का निर्धारण किया है। तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 28.2.2009 एवं बैंक की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 15.02.2009 के निर्णय के अनुसार वर्तमान में गन्ना, कपास मिर्च व केला फसल के लिए रुपये 1.50 लाख दिया जा रहा है। जिसमे नगद 1.13 लाख व वस्तु 0.37 लाख दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बैंक की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 07 मार्च 2010 को अध्यक्षीय अभिभाषण पश्चात् पारित निर्णय अनुसार इन 4 फसलों के लिये ऋण सीमा में वृद्धि कर रू. 3.00 लाख ऋण सीमा किये जाने का निर्णय लिया है। तदानुसार नगद ऋण राशि रू. 2.25 लाख एवं वस्तु ऋण राशि रू. 0.75 लाख ऋण पाने की पात्रता कृषक सदस्य को होगी। इसका निर्धारण सदस्य की अदायगी क्षमता के आधार पर किया जाता है। यह सीमा ऋण भुगतान क्षमता के आधार पर एवं वास्तव में फसल लगने वाली लागत के आधार पर होगी। उस सीमा तक ही नगद ऋण उपलब्ध कराया जावेगा एवं जो वस्तु रूप में आंकलित होती है उसे उस सीमा तक ही वस्तु के रूप में आंकलित होती है

उसे उस सीमा तक ही वस्तु के रूप में ऋण सीमा स्वीकृत की जावेगी। वस्तु में रासायनिक खाद, बीज, कल्चर एवं कीटनाशक औषधियां सम्मिलित रहेंगी। यदि कोई सदस्य स्वयं के द्वारा जैविक खाद का उत्पादन करता है तो उस पर उतनी सीमा तक ऋण राशि नगद स्वरूप स्वीकृत किया जा सकता है।

अधिकतम ऋण सीमा तक ऋण इन्हीं सदस्यों को दिया जावेगा जिनका व्यवहार समिति/बैंक से अच्छा रहा है एवं समय पर लेन देन करते हो। ऐसे कृषक सदस्य जिनसे किस योजना, एक मुश्त समझौता योजना या बजावरी प्रकरण के माध्यम से वसूली हुई, ऐसे कृषक सदस्यों को स्वीकृत ऋण सीमा की कुल पात्रता का 75 प्रतिशत भाग या पूर्व में दिए गए नगद ऋण में से जो भी कम हो, का ऋण प्राप्त करने की पात्रता होगी। का निर्णय लिया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत स्वीकृत साख सीमा की अवधि वर्तमान में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की ही है, जिसका नवीनीकरण प्रतिवर्ष स्वीकृत साख सीमा के अंतर्गत संस्था एवं सदस्य को कराना अनिवार्य होगा। सदस्यों को स्वीकृत नगद वस्तु ऋण आवश्यकतानुसार खरीफ एवं रबी फसल हेतु प्रदत्त किया जा सकेगा।

2/2 अल्पकालीन ऋणों के लिये ऋण वितरण का समय एवं ऋण की देय तिथि का निर्धारण।

अल्पकालीन ऋणों के लिये ऋण वितरण का समय एवं ऋण की देय तिथि के निर्धारण पर टीप का अवलोकन किया गया पश्चात् सर्वानुमति से अल्पकालीन ऋणों के लिये निम्नानुसार ऋण वितरण का समय एवं देय तिथि का निर्धारण सर्वानुमति से किया गया।

अल्पावधि ऋण वितरण की अवधि एवं ऋण अदायगी की तिथियां

नाम फसल	ऋण वितरण की अवधि	ऋण अदायगी की तिथियां	बैंक से संस्था	संस्था से सदस्य
खरीफ एवं रबी फसलों के लिये नगद एवं वस्तु ऋण	1 अप्रैल से 31 मार्च तक			
अ. खरीफ फसलों के लिये	1 अप्रैल से 30 सित. तक	मार्च माह का अंतिम शुक्रवार	28 मार्च	
ब. रबी फसलों के लिये	1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	जिस माह में ड्यू होगा उस माह का अंतिम शुक्रवार	जिस माह में ड्यू होगा उस माह की 15 तारीख, किन्तु अधिकतम 12 माह की आवश्यक होने पर 3 माह की अवधि प्रोका0 की अनुमति से बढ़ाई जा सकती है।	
गन्ना फसल हेतु		जिस माह में ड्यू होगा उस माह का अंतिम शुक्रवार	जिस माह में ड्यू होगा उस माह की 15 तारीख, किन्तु अधिकतम 12 माह होगा।	
केला फसल हेतु		जिस माह में ड्यू होगा उस माह का अंतिम शुक्रवार	जिस माह में ड्यू होगा उस माह की 15 तारीख, किन्तु अधिकतम 12 माह की आवश्यक होने पर 3 माह की अवधि प्रोका0 की अनुमति से बढ़ाई जा सकती है।	
पपीता हेतु		जिस माह में ड्यू होगा उस माह का अंतिम शुक्रवार	जिस माह में ड्यू होगा उस माह की 15 तारीख, किन्तु अधिकतम 5 माह होगा।	
सब्जियों के लिये		जिस माह में ड्यू होगा उस माह का अंतिम शुक्रवार	जिस माह में ड्यू होगा उस माह की 15 तारीख, किन्तु अधिकतम 5 माह होगा।	